

न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्या:-326/17

1. मोहनलाल दत्तक पुत्र श्री प्रभू जाति माली, निवासी वार्ड नम्बर 29, सामोद रोड़, नीमडी कस्बा चौमू, तहसील चौमू जिला जयपुर।

—अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती भागु देवी उर्फ भूरी पत्नी श्री बाबूलाल, जाति माली, निवासी काकोडिया की ढाणी, बैनाड़, रोड़, जयपुर।
2. श्रीमती बिरदी देवी पत्नी श्री दुर्गालाल, जाति माली, निवासी जोडला पावर हाउस, हरमाडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
3. जगदीश पुत्र श्री छीतरमल, जाति माली, निवासी वार्ड नम्बर 29, सामोद रोड़, नीमडी कस्बा चौमू, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
4. तहसीलदार तहसील चौमू जिला जयपुर।

—रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांक: 07/11/17

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, तृतीय जयपुर के आदेश दिनांक 14.07.2017 (प्रकरण संख्या 72/2015) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि वाके कस्बा चौमू जिला जयपुर में कृषि खाता संख्या 230 में अंकित कृषि भूमि कुल किता 13 कुल रकबा 3.86 हैक्टर में राजस्व रिकार्ड में 1/2 हिस्सा श्री छीतरमल पुत्र श्री चौथू जाति माली के नाम दर्ज है, दिनांक, 15.03.2015 को खातेदार श्री छीतरमल पुत्र श्री चौथू जाति माली का स्वर्गवास हो जाने से प्रत्यर्थागण द्वारा बाला-बाला ही दिनांक 13.07.2015 को उक्त कृषि भूमि में विरासत का नामान्तरकरण संख्या 2034 अपीलार्थी की जानकारी के बिना ही खुलवा लिया जबकि खातेदार श्री छीतरमल पुत्र चौथू जाति माली ने अपने जीवनकाल में अपनी सम्पूर्ण कृषि भूमि के बाबत एक वसीयत दिनांक 27.04.2012 को तहरीर तकमील करके दिनांक 27.04.2012 का ही उप पंजीयक चौमू के समक्ष पंजीकृत करवायी थी, उक्त वसीयतनामों के तहत उपरोक्त कृषि भूमि अपीलार्थी को वसीयत की गई है तथा अन्य वारिसान का उक्त कृषि भूमि पर वसीयतनामा दिनांक 27.04.2012 की रोशनी में कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं हुये है। उन्होने आगे कथन किया है कि वादग्रस्त कृषि भूमि का फौती नामान्तरकरण प्रत्यर्था द्वारा अपने हक में तस्दीक करवाने हेतु जो प्रार्थना पत्र तहसीलदार चौमू के समक्ष प्रस्तुत किया गया उक्त प्रार्थना पर अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही नामान्तरकरण संख्या 2034 दिनांक 13.07.2015 को तस्दीक किया गया है जिसके विरुद्ध अपीलार्थी की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई उक्त अपील पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14.07.2017 को विधि विरुद्ध तथा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का प्रतिकूल अपीलार्थीन आदेश दिनांक 14.07.2017 पारित किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर


P.T.O.

(2)


अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि तहसीलदार चौमू द्वारा नामान्तरकरण संख्या 2034 को तस्दीक करने से पूर्व सम्बन्धित पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक फरमा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की स्पष्ट रूप से अवहेलना की है, उक्त विधिक बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में कोई विवेचना ना कर विधिक भूल की है क्योंकि वादग्रस्त कृषि भूमि खाता संख्या 230 जो मृतक श्री छीतरमल पुत्र श्री चौथू द्वारा स्वयं अर्जित भूमि थी जिस पर मृतक खातेदार जागीर के समय से काबिज काश्त था तथा पत्रावली पर प्रथम भू प्रबन्ध की जमाबन्दी होने के पश्चात् भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दस्तावेज पर कोई विवेचन किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर विधिक भूल की है। उन्हाने आगे यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थीगण द्वारा जाहिर तथ्यों की वादग्रस्त कृषिभूमि प्रत्यर्थीगण के पूर्वजों की होने बाबत कोई प्रमाण एवं दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में अपीलार्थी को स्वयं अर्जित भूमि के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के तथ्य गलत रूप से विवेचित कर अपीलाधीन निर्णय पारित कर विधिक भूल की है तथा तहसीलदार के समक्ष रजिस्टर्ड वसीयत प्रस्तुत किये बिना ही नामान्तरकरण तस्दीक करने के तथ्यों को विवेचन अपीलाधीन निर्णय में ना कर विधिक भूल की है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में वसीयत बाबत ना कोई जांच की गई ना ही अपीलार्थी को उक्त वसीयत को सिद्ध करने बाबत कोई कार्यवाही में लाये बिना अपीलाधीन निर्णय विधि विरुद्ध पारित फरामाया गया है, जो दस्तावेजी साक्ष्य एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2017 को निरस्त फरमाते हुये नामान्तरकरण संख्या 2034 निरस्त एवं प्रभाव शून्य घोषित किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन पर जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार छीतरमल के फौत होने पर खातेदार के वारिसान के नाम नामान्तरकरण संख्या 2034 दिनांक 13.07.15 स्वीकार किया गया है तथा अपीलान्ट ने जिस वसीयत के आधार पर उक्त नामान्तरकरण को चुनौति दी है उस वसीयत के बाबत पक्षकारान के मध्य सक्षम न्यायालय में वाद विचाराधीन है जिस पर सक्षम न्यायालय द्वारा अभी निर्णय होने बाकी है। उक्त सभी तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2017 में किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, तृतीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2017 को यथावत रखा जाता है।


(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 07/11/17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


संभागीय आयुक्त,
जयपुर।